संसदीय समितियां—कार्यवाही का सारांश

†सचिव : मैं लोक-सभा के दसवें सत्र से सम्बन्धित "संसदीय-समितियां—कार्यवाही का सारांश" की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†सचिव : मैं गत सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा २९ अप्रैल, १९६० को लोक-सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :—

१. वित्त विधेयक, १९६०

२. भारत का रिज़र्व बैंक (संशोधन) विधेयक, १९६०

३. विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९६०

४. सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६०

५. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, १९६०

६. भारतीय बायलर्स (संशोधन) विधेयक, १९६०

७. हिन्दू विवाह (कार्यवाही का मान्यीकरण) विधेयक, १९६०

श्रीमान्, मैं गत सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा २९ अप्रैल, १९६० को लोक-सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों की प्रतियां, राज्य-सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित रूप में, सभा पटल पर रखता हूं :—

१. बम्बई पुनर्गठन विधेयक, १९६०

२. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९६०

नागा पहाड़ियों तथा तुएनसांग क्षेत्र के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अध्यक्ष महोदय, मैं इससे पहले भी कई बार नागा-समस्या का जिक्र कर चुका हूं । माननीय सदस्य जानते हैं कि नागा लोक जिस क्षेत्र में रहते हैं उसे, बल्कि कहना चाहिये कि भारत भर में जहां-जहां दूसरी-दूसरी आदिम जातियों के लोग रहते हैं, उन सभी क्षेत्रों को हमने हमेशा ही स्वतंत्र भारत का हिस्सा माना है । हमारे संविधान में यही परिभाषा की गई है स्वतंत्र भारत की । आदिम जातियों के इन सब लोगों को हमने स्वतंत्र भारत के नागरिक समझा है, और स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के सारे विशेषाधिकार और नागरिकता के सारे दायित्व उनके रहे हैं ।

नागा लोग बड़े मेहनती और अनुशिष्ट होते हैं । उनकी ज़िन्दगी के तरीके में ऐसा बहुत कुछ है जिससे दूसरे सबक ले सकते हैं । भारतीय सेना में कई साल तक नागा लोग रहे हैं और वे काफ़ी अच्छे दर्जे के सैनिक साबित हुए हैं । हमारी नीति हमेशा यही रही है कि नागा लोगों को अधिक से अधिक स्वायत्तता, खुद मुख्तारी दी जाये, उनको अपना विकास करने का पूरा मौका दिया जाये, और उनके अन्दरुनी मामलों में, जिन्दगी के उनके अपने तरीके में कोई दखलअन्दाज़ी न की जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

दुर्भाग्य से उनको स्वायत्तशासी बनाने का काम अमली तौर पर पूरा नहीं किया जा सका था; इसलिये कि नागाओं में से ही कुछ लोग गड़बड़ी मचाने लगे और उन्होंने विरोधी कार्यवाहियां शुरू कर दी थीं। ये विरोधी नागा चाहते थे कि नागा क्षेत्र को सारे भारत से अलग एक स्वतंत्र क्षेत्र बना दिया जाये। वह एक ऐसी मांग थी जिसे कोई भी भारत सरकार कभी भी नहीं मान सकती है। उसका नतीजा यह हुआ कि उन विद्रोही नागाओं ने मारकाट और हिंसा का रास्ता अपनाया। जाहिर है कि हमें तब उन गैर कानूनी कार्यवाहियों को रोकने के लिये कुछ कदम उठाने पड़े। वे लोग लूट खसोट करने लगे, गांवों और बस्तियों में आग लगाने लगे, और दूसरे नागा लोगों से जबरन रुपया पैसा छीनने लगे। उन्होंने कई नागाओं को बेरहमी से क़त्ल भी कर दिया था। इसलिये इन क्षेत्रों के दूसरे नागाओं की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य हो गया हमने वहां विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिये, आम नागाओं को बचाने के लिये कई कदम उठाये थे। हमने अपनी सेना और आसाम राइफिल्स की मदद इसके लिये ली। इन झगड़ों का नतीजा यह हुआ कि उस इलाके के लोगों को बड़ी-बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ीं। उनमें से ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उस इलाके में शांति स्थापित हो जिससे कि वे अपनी रोजी-रोटी के लिये ठीक से काम कर सकें। इस तरह पिछले पांच-छै: साल के अर्से में वहां काफ़ी गड़बड़ी रही, हालत बड़ी अफसोसनाक रही। लेकिन फिर धीरे-धीरे हालत सुधरने लगी। नागा जिलों के बड़े-बड़े इलाक़ों में शान्ति स्थापित होने लगी। एक बड़ी अच्छी चीज़ यह रही कि हमने उन इलाकों में अपना विकास-कार्य फैला दिया वहां स्कूल और अस्पताल खोले गये और डाक-तार की सुविधायें जुटाई गईं। लेकिन इतना सारा सुधार होने के बाद भी, कुछ कदर विरोधी नागा लोग अपनी मार-काट और लूटपाट जारी रखे रहे। हालांकि उनको पहाड़ी इलाके के बहुत अन्दर घने जंगलों तक खदेड़ दिया गया था फिर भी उनकी हिंसात्मक कार्यवाही जारी रहीं।

नागा पहाड़ियों के क्षेत्र की जनता को इस गड़बड़ी से और विद्रोही नागाओं की मारधाड़-लूटपाट से काफी मुसीबतों के दिन देखने पड़े थे। इसलिये उस क्षेत्र की सभी आदिम जातियों के नेताओं, उनकी नुमाइंदगी करने वालों ने उस झगड़े का ख़ात्मा करने का फैसला किया। उन्होंने नागा जनता के नुमाइंदों का एक कन्वेन्शन, एक बड़ा सम्मेलन किया। उस कन्वेशन में उस समय के आसाम के नागा पहाड़ी जिले और नेफा के तुएनसांग फ्रंटियर डिवीज़न के हर इलाके और उसमें बसने वाली हर आदिम जाति के नुमाइंदों को बुलाया गया। वह कन्वेन्शन १९५७ में २२ से २५ अगस्त तक कोहिमा में हुआ था। सम्मेलन के अपने शब्दों में उसका उद्देश्य था - जनता के अपार कष्टों और रक्तपात का अन्त करना। उस सम्मेलन में कई प्रस्ताव पास किये गये थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण वह था जिसमें भारत सरकार से अनुरोध किया गया था कि भारत सरकार के वैदेशिक विभाग के अधीन एक प्रशासकीय यूनिट बनाई जाये, जिसमें आसाम के नागा पहाड़ी जिले और नेफा का तुएनसांग फ्रंटियर डिवीजन शामिल हो। प्रस्ताव के मुताबिक उस यूनिट का प्रशासन आसाम के राज्यपाल को, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की हैसियत से करना था, वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन रह कर :

उस कन्वेन्शन द्वारा चुने हुए नेताओं का एक प्रतिनिधि-मंडल १९५७ में २५ और २६ सितम्बर को भुझ से मिलने आया था। अलग से एक प्रशासकीय यूनिट बनाने की नागाओं की बात को हमने ठीक समझा। उस प्रस्ताव को अमली रूप देने के लिये ही वह सवाल संसद् के सामने पेश किया था और संसद् ने नागा पहाड़ियों तुएनसांग क्षेत्र अधिनियम, १९५७ पारित किया था। इस तरह इस क्षेत्र की एक अलग प्रशासकीय यूनिट बनाई गई थी और राष्ट्रपति ने इस नयी यूनिट के प्रशासन की ब्यौरेवार व्यवस्था करने के लिये आवश्यक विनियमन प्रख्यापित किया था। तब से आसाम

के राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की हैसियत से वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन रहकर इस यूनिट का प्रशासन करते आ रहे हैं।

नागा जनता को आशा थी कि नयी यूनिट बनने से उनको अपनी जरूरत के मुताबिक अपने-अपने क्षेत्रों का विकास करने का अवसर मिल जायेगा। उन्होंने कुछ तरक्की की भी थी, लेकिन विद्रोही नागाओं की कार्यवाहियों के कारण विकास का काम ठीक से आगे नहीं बढ़ पाया।

इसीलिये मई १९५८ में नागा पहाड़ी-तुएनसांग क्षेत्र के मोकोक्चुंग ज़िले के उंगमा स्थान में एक दूसरा कन्वेन्शन बुलाया गया था। उस कन्वेन्शन ने छिपाचोरी काम करने वाले नागाओं से सम्पर्क करने के लिये एक सम्पर्क समिति नियुक्त की थी, जिससे कि विद्रोही नागाओं को भी कन्वेन्शन की नीति का हामी बनाया जा सके और उस क्षेत्र के लिये अधिकतम स्वायत्तता हासिल की जा सके और नागाओं का भविष्य सुनिश्चित बनाया जा सके। कुछ मुट्ठी भर विद्रोही नागाओं ने तो इसे पसंद किया था, लेकिन कुल मिलाकर उन लोगों ने इसे ज्यादा पसंद नहीं किया था।

इसके बाद, नागा जन कन्वेन्शन के नेताओं ने खुद अपनी तरफ से कुछ प्रस्ताव तैयार करके उनको भारत सरकार के सामने रखने का फैसला किया। अक्टूबर १९५९ में तीसरा नागा जन-कन्वेन्शन मोकोक्चुंग में हुआ और उसमें सरकार के सामने पेश किये जाने के लिये सोलह सूत्रों का एक मसविदा तैयार किया गया। इस तीसरे कन्वेन्शन में नागाओं ने अपनी सबसे मुख्य मांग यह रखी थी कि भारत संघ में ही एक अलग राज्य बनाया जाये 'नांगा लैण्ड', जो वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन रहे। उसका अलग से एक राज्यपाल हो और एक प्रशासकीय सचिवालय भी। उसमें नागा राज्य की अलग से एक मंत्रिपरिषद् और विधान सभा की भी मांग की गई थी। उसमें विभिन्न आदिम जातियों और क्षेत्रों के मामलों के निबटारे के लिये गांव परिषद् 'रेंज' परिषद् और आदिम जाति परिषद् की व्यवस्था की बात भी कही गई थी। इन परिषदों को ही परम्परागत विधियों और प्रथाओं के उल्लंघन के मामलों तथा विवादों का निबटारा करना था।

नागा जन-कन्वेन्शन की ओर से, नागा-नेताओं के प्रतिनिधि-मंडल ने इसी साल अप्रैल में आसाम के राज्यपाल के सामने यह सोलह-सूत्री मसविदा पेश किया था। प्रतिनिधि-मंडल ने प्रधान मंत्री से मिलने की इच्छा भी जाहिर की थी। प्रधान मंत्री ने उनसे कहलवा दिया था कि वह बड़ी खशी से मिलेंगे लेकिन चूंकि वह राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होने के लिये इंग्लैण्ड जा रहे हैं, इसलिए वहां से लौटने पर ही मुलाकात हो सकेगी।

उसके बाद पन्द्रह नागा नेताओं का प्रतिनिधि-मंडल २६ जुलाई, १९६० को प्रधान मंत्री से मिला। प्रतिनिधि-मंडल के नेता, नागा जन-कन्वेन्शन के सभापति डा० इम्कोन्गलिबा एओ थे। प्रतिनिधि मंडल ने वही सोलह सूत्री मसविदा पेश किया, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। मसविदे के सभी प्रस्तावों पर पूरी तरह से विचार किया गया। प्रधान मंत्री ने सरकार की यह नीति उनके सामने रखी कि सरकार हमेशा से इसी पक्ष में रही है कि नागाओं को उनके अन्दरुनी मामलों में अधिक से अधिक स्वायत्तता दी जाये। प्रधान मंत्री ने नागा नेताओं का यह अनुरोध तो मान लिया कि नागा पहाड़ी-तुएनसांग क्षेत्र को भारतीय संघ में एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाये, लेकिन उन्होंने नागा नेताओं को यह भी बता दिया कि इस नये राज्य के क्षेत्र, उसकी जन संख्या और उसके वित्तीय संसाधनों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि नया राज्य एक भारी प्रशासनिक ढांचे के भार को खुद अकेले वहन नहीं कर पायेगा। इसके बारे में नागा नेताओं के साथ काफी ब्योरेवार चर्चा हुई और मोटे तौर पर एक समझौता हो गया है। समझौते की मुख्य बातें ये हैं।

भारतीय संघ में एक नया राज्य स्थापित किया जायेगा जिसके क्षेत्र में वर्तमान नागा पहाड़ियां और तुएनसांग क्षेत्र का प्रदेश सम्मिलित होगा। उसे 'नागालैण्ड' कहा जायेगा। आसाम

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

और "नागा लैण्ड" का राज्यपाल एक ही व्यक्ति रहेगा। नये राज्य को आसाम उच्च न्यायालय के वर्तमान क्षेत्राधिकार में ही रखा जायेगा। नये राज्य के पूरी तौर से स्वायत्त बनने के लिये संक्रमण काल की एक अवधि निर्धारित की जायेगी। उस अवधि के दौरान में नागा लैण्ड के प्रशासन के मामले में राज्यपाल को परामर्श देने और उसकी सहायता करने के लिये प्रत्येक नागा आदिम जाति के प्रतिनिधियों की एक अन्तरिम समिति गठित की जायेगी। इस संक्रमण-काल के दौरान में विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने का विशेष दायित्व राज्यपाल को सौंपा जायेगा। यह विशेष दायित्व तब तक रहेगा जब तक कि बिद्रोही नागाओं की विरोधी कार्यवाहियों के कारण विधि तथा व्यवस्था की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। और चूंकि इस नये राज्य के अपने वित्तीय संसाधन बहुत ही सीमित होंगे, और केन्द्रीय सरकार को विकास योजनाओं के लिये ही नहीं बल्कि प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिये भी बड़ी-बड़ी राशियां अनुदान के रूप में मंजूर करनी पड़ेंगी, इसलिये राज्यपाल का एक सामान्य दायित्व यह भी रहेगा कि वह देखे कि भारत सरकार द्वारा जुटाई गई निधियां उन कामों पर ही खर्च की जायें जिनके लिये वे दी गई हों।

नये राज्य की अपनी विधान सभा होगी और मंत्रि परिषद् उसके प्रति उत्तरदायी होगी। संविधान की वर्तमान छठी अनुसूची में जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार के कुछ परिवर्तनों की व्यवस्था नागाओं की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं, उनकी परम्परागत विधियों और प्रक्रिया तथा भूमि के स्वामित्व तथा हस्तांतरण के मामलों के लिये की जायेगी। वैसे, अन्य मामलों पर दीवानी और फौजदारी से सम्बंधित वर्तमान विधियां ही वहां लागू रहेंगी। आसाम उच्च-न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी बना रहेगा। तुएनसांग जिले के प्रशासन के लिये उस क्षेत्र के निवासियों की राय से, एक विशेष व्यवस्था की जायेगी। कुछ और भी छोटे-छोटे विषय हैं, जिनके बारे में भी नागा नेताओं और भारत सरकार के बीच समझौता हो गया है। इसलिए आशा है कि अब आगे से भारत सरकार के मंशा के बारे में कोई भी ग़लत फहमी पैदा नहीं होगी। अभी हाल में जो समझौता हुआ है उसे अमल में लाने के लिये भारत सरकार कितना कुछ करना चाहती है, इसके बारे में भी ग़लतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं रह जायेगी।

भारत सरकार अब यह चाहती है कि नागा नेताओं के साथ जो ये समझौता हुआ है उसे अमल में लाने में देर न की जाये। इसके लिये संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन के लिये संसद् का अनुमोदन आवश्यक है, जिसे प्राप्त करने के लिए यथा समय एक विधेयक रखा जायेगा।

नागा नेताओं के साथ यह जो समझौता हुआ है, हमें उससे संतोष है। हमने तो हमेशा ही नागाओं को भारत का पूरा-पूरा नागरिक माना है। मैं यह बात नागा जनता से पहले भी कई बार कह चुका हूं कि नागाओं की स्वतंत्रता के सवाल जैसा तो कोई सवाल ही नहीं है। भारत ने आज से तेरह साल पहले स्वतंत्रता हासिल की थी और नागा लोग भी भारत में उतने ही स्वतंत्र हैं जितने कि भारत के अन्य नागरिक हैं। नागाओं के ज़िन्दगी के अपने तरीके में, उनके जातीय रीति-रिवाजों और प्रथाओं में थोड़ी भी कोई दखलन्दाज़ी करने का हमारा कतई मंशा नहीं है। नागा लोग चाहते थे कि भारतीय संघ में ही उनका एक अलग राज्य बना दिया जाये। उसके बारे में अब समझौता हो चुका है, इसलिये आशा है कि अब उन्हें अपने ढंग से काम करने का पूरा-पूरा मौका मिल सकेगा। हमारी दिली ख़्वाहिश है कि इस नये राज्य के बनने से अब वहां बहुत जल्द सामान्य परिस्थिति बन जायेगी। यहां, इस सिलसिले में, मैं यह भी साफ़ कह देना चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी सरकार यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके इलाके में विद्रोहात्मक कार्यवाहियां चलती रहें और वह हाथ पर हाथ धरे उनको देखती रहे। यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसीलिये हम जहां एक तरफ हाल के इस समझौते को अमली रूप देने में हाथ बंटाने वालों का पूरा-पूरा

समर्थन करने के लिये तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ हम विद्रोहियों की कार्यवाहियों को सख्ती से दबा देने, खत्म कर देने की भी पूरी कोशिश करते रहेंगे । हमें ऐसी सख्ती करना पसन्द नहीं है, लेकिन वह जरूरी हो गई है । मुझे पूरा भरोसा है कि नागा जनता के नेता अपने क्षेत्र में कुछ मुट्ठी भर नागाओं द्वारा की जाने वाली गैरकानूनी कार्यवाहियों को खत्म करने में हमारा हाथ बटायेंगे ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : प्रधान मंत्री ने विद्रोही नागाओं के साथ सख्ती से पेश आने की बात कही है । उनके नेता डा० फिज़ो आजकल इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का विचार कर रहे है । इस सम्बन्ध में भारत सरकार क्या करने की सोच रही है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम) : मैं इस समझौते का समर्थन करता हूं । पर इस नये राज्य का नाम 'नागा लैण्ड' उचित नहीं है, नागा प्रदेश या नागा राज्य होना चाहिये ।

†**श्री जवाहर लाल नहरू** : बात तो ठीक है, लेकिन नागा नेता इसे यही नाम देना चाहते थे, इसीलिये उनके जोर देने पर ही हमने यह नाम मान लिया है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** (बलोदा बाज़ार) : समाचारपत्रों में कहा गया है कि 'नागा लैण्ड' के प्रशासन और देखभाल का भार वैदेशिक कार्य मंत्रालय पर रहेगा; गृह-कार्य मंत्रालय पर नहीं, जैसा कि आम तौर से होता रहा है । 'नागालैण्ड' के लिये यह विशेष व्यवस्था क्यों की जा रही है ? यह नयी प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : यह संवैधानिक विषय नहीं है । किसी क्षेत्र के प्रशासन का भार कौन मंत्रालय संभाले—यह संविधान के संशोधन का विषय नहीं है । सभी क्षेत्रों का प्रशासन भारत सरकार करती है । भारत सरकार उनकी देखभाल करती है । मंत्रालयों के बीच काम का बटवारा क्या हो इसका निर्णय करना राष्ट्रपति का काम है । राष्ट्रपति अपने प्रधान मंत्री के जरिये यह निर्णय करते हैं । मैंने अभी बताया है कि आज से दो साल पहले, १९५७ में नागाओं के इस कन्वेन्शन ने अनुरोध किया था कि चूंकि नेफा क्षेत्र की देखभाल का काम आमतौर से वैदेशिक कार्य मंत्रालय ही तब तक करता रहा था, इसलिये आगे भी यही व्यवस्था रखी जानी चाहिये । चूंकि उनका अनुरोध था और चूंकि हमारा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय उस समय भी 'नेफा' की देखभाल कर ही रहा था, इसीलिये हम उसे जारी रखने के लिये तैयार हो गये थे । हमने उनका अनुरोध मान लिया है । इस व्यवस्था का उल्लेख संविधान में करना जरूरी नहीं है, इसका निर्णय तो हमारे ऊपर ही है । नागा नेताओं की यही इच्छा थी, इसीलिये हमने इसका यहां उल्लेख किया है ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून): क्या यह भी समझौते में शामिल है कि 'नागा लैण्ड' को कभी भी गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन नहीं रखा जायेगा ?

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : वैदेशिक कार्य मंत्रालय का काम तो विदेशों से सम्बन्धित मामलों की देखभाल करना है, जबकि नागाओं का प्रश्न देश का आन्तरिक मामला है ; फिर हम ने ऐसा समझौता क्यों किया ? प्रधान मंत्री की हैसियत से आप उसकी देखभाल करें, वह तो माना जा सकता है लेकिन वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से उसका क्या वास्ता ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : मैंने आपको इसके ऐतिहासिक कारण बताने की कोशिश की है । नेफा का इलाका शुरू से वैदेशिक कार्य मंत्रालय से सीधा सम्बन्धित रहा है । नेफा भी, अन्य क्षेत्रों की भांति, भारत का ही भाग है । सभा को जानकारी है कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित आयव्ययक प्राक्कलनों में अभी तक आसाम राइफिल्स के लिये काफी बड़ी राशियों की व्यवस्था

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

की जाती है। यह इसीलिये कि 'नेफा' को एक ऐसा विशेष प्रदेश माना गया है जिसकी ओर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं इसकी सफाई नहीं दे रहा हूं। मैं तो आपके सामने इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रख रहा हूं।

बाद में इसके लिये एक विशेष सेवा भी चालू की गई थी, जो अन्य सभी सेवाओं से भिन्न थी। 'राजनीतिक सेवा' को भी वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन रखा गया था। इन सेवाओं में लोगों को विशेष अनुभव और विशेष क्षमता, देखकर भर्ती किया गया था। ऐसे लोग भर्ती किये गये थे जो सामान्य जीवन की सुख-सुविधाओं के बिना, आम जिन्दगी से अलग रहने की क्षमता रखते हों। ऐसे लोग सेना में से, असैनिक सेवाओं में से और बाहर से भी भर्ती किये गये थे। इसी तरह इसका सम्बन्ध वैदेशिक कार्य मंत्रालय से हो गया था। फिर, १९५७ में नागा जन कन्वेन्शन ने अनुरोध भी किया था कि इस नये राज्य का भार वैदेशिक कार्य मंत्रालय ही सम्भाले। पहले तो हमने उनसे स्पष्ट कह दिया था कि कौन सा मंत्रालय भार सम्भालेगा इसका फैसला करना हमारा अपना काम है। लेकिन फिर नागा नेताओं के जोर देने पर हमने इसे मान लिया। इसे संवैधानिक विषय नहीं कहा जा सकता। बाद में, आपसी समझौता करके हम इसे बदल सकते हैं। अभी फिलहाल इसे ऐसा ही रहने दिया जायेगा। अभी इस वक्त यह नयी यूनिट वैदेशिक कार्य मंत्रालय के ही अधीन है, इसलिये बात केवल वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने की ही है। हां, एक परिवर्तन यह किया गया है कि वहां काम करने वाले अधिकारी वगैरह उस राजनीतिक सेवा के ही रहेंगे, जिनकी भर्ती वहां के लिये खास तौर पर की गई थी।

†श्री त्यागी : क्या यह समझौता औपचारिक है और इसे संविधान में शामिल किया जायेगा, या यह एक गैर सरकारी निकाय के साथ प्रधान मंत्री की एक अनौपचारिक वार्ता ही थी, जिससे कुछ निष्कर्ष निकले हैं ? इसके फलस्वरूप संविधान में जो परिवर्तन करने पड़ेंगे, उनके बारे में संसद् को अपनी राय देने का मौका दिया जायेगा या नहीं ? इस समझौते को वैधानिक दस्तावेज़ माना जायेगा, या यह एक प्रकार की संधि है ?

†श्री अशोक मेहता : मैं तो यही समझा हूं कि भारतीय संघ में अब सोलहवां राज्य बनने जा रहा है। यदि इस नये राज्य का दर्जा भी अन्य पन्द्रह राज्यों के समान ही है, तो फिर इसका भार वैदेशिक कार्य मंत्रालय को क्यों सौंपा जा रहा है ? क्या यह सोलहवां राज्य न होकर कुछ और है ?

†श्री जवाहर लाल नेहरू : यह सोलहवां राज्य ही होगा, हां उसके लिये कुछ अस्थायी व्यवस्थायें की जा रही हैं। अस्थायी व्यवस्थाओं की ठीक-ठीक अवधि इसलिये निर्धारित नहीं की गई है कि वह बहुत हद तक दूसरी कुछ बातों पर, विधि तथा व्यवस्था, इत्यादि पर निर्भर करती है। होगा तो यह सोलहवां राज्य ही, लेकिन इसका आकार कुछ ऐसा है कि अन्य राज्यों की तरह एक बड़ी पेचीदा प्रशासकीय व्यवस्था की शायद इसे जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी मुझे उम्मीद है।

यह समझौता भारत सरकार और नागा जन कन्वेन्शन के प्रतिनिधियों के बीच हुआ है। इसे वैधानिक और संवैधानिक रूप देना होगा। वैसे यह समझौता अपने आप में तो वैधानिक दस्तावेज़ नहीं है, फिर भी उपयुक्त ढंग से इसका प्रारूप तैयार करना पड़ेगा। इसकी खास-खास बातों को विधेयक में शामिल किया जायेगा। इसकी बुनियादी चीज़ को तो शामिल किया ही

†मूल अंग्रेजी में

जायेगा, और भारत सरकार को उम्मीद है कि उसे यह सभा स्वीकृति भी दे देगी। छोटी-मोटी बातों की ऐसी कोई अहमियत नहीं है।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : इस समझौते में कभी कोई परिवर्तन करने के लिये क्या नागा नेताओं से फिर दूसरा समझौता करना पड़ेगा ? या संसद् स्वयं वह परिवर्तन कर सकेगी ?

†**श्री त्यागी** : सरकार अपने देश की जनता के ही साथ कोई समझौता कैसे कर सकती है ? यह बड़ी अजीब सी बात है। भारत सरकार उत्तर प्रदेश या पंजाब की जनता के साथ तो कोई समझौता नहीं कर सकती ! यह समझौता कैसे कहा जायेगा ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : समझौते में दो पक्ष होते हैं, और यह जरूरी नहीं कि उनमें से कोई दूसरे के अधीन न हो। हमें शब्दों से नहीं उलझना चाहिये। यदि सभा इसका अनुमोदन कर देगी तो यह समझौता वैधानिक रूप से हमारे संविधान का अंग बन जायेगा, इस समझौते की बुनियादी बात हमारे संविधान का अंग बन जायेगी। बुनियादी बात यही है कि एक नया राज्य बनाया जा रहा है। जाहिर है कि यह तभी होगा जब कि सभा इसका अनुमोदन कर दे। यदि सभा अनुमोदन कर देती है, तो यह संविधान का एक अंग बन जायेगा, और संविधान का अंग बनने के बाद यह समझौता नहीं कहा जायेगा। लेकिन उससे पहले तो सरकार इसे संसद् के सामने रख कर इसका अनुमोदन कराने की कोशिश करेगी ही।

†**श्री तिरूमल राव** (काकिनाडा) : नया महाराष्ट्र राज्य बनाने के समय, उसे समझौता नहीं कहा गया था। उस नये राज्य को यह विशेष दर्जा नहीं दिया गया था। इसके लिये 'समझौता' शब्द का प्रयोग करके नागा जनता को कुछ ऐसे अधिकार दिये जा रहे हैं जिसके वे अधिकारी नहीं हैं। इसलिए इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : मैं 'नागा लैण्ड' की स्थापना का समर्थन करता हूं। सोवियत रूस की भांति हमारे यहां भी यदि ७०—८० राज्य रहें तो कोई बुराई नहीं।

महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक के बारे में वक्तव्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : सभा ने १८ मार्च, १९६० को श्री पु० र० पटेल का यह प्रस्ताव स्वीकृत किया था कि राजा महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक पर अगले सत्र के प्रथम दिन तक के लिये विचार करना स्थगित किया जाये। सरकार ने इस विधेयक के संवैधानिक पहलुओं पर विचार कर लिया है। सरकार को परामर्श दिया गया है कि संसद् को न तो वैधानिक सूचियों की प्रविष्टियों के अन्तर्गत और न उसकी अवशिष्ट शक्तियों के अन्तर्गत ही ऐसी कोई क्षमता प्राप्त है कि वह अमृत प्रताप सिंह के स्वामित्व से उसकी अचल संपत्तियों को लेकर राजा महेन्द्र प्रताप सिंह को दे दे। संसद् केवल इतना कर सकती है कि महेन्द्र प्रताप सिंह सम्पदा अधिनियम, १९२३ को निरसित करने के लिए एक अधिनियम बना दे। सरकार इस विधेयक के उद्देश्यों से तो पूरी तरह सहमत है कि ऐसा एक आपत्तिजनक विधान संविधि पुस्तक में नहीं रहने दिया जाना चाहिए। लेकिन संवैधानिक दृष्टि से, विधेयक का वर्तमान स्वरूप विधि-अनुकूल नहीं है। इसलिये सरकार जल्द ही एक विधेयक सभा में रखेगी कि १९२३ के विधेयक को निरसित कर दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में